कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री नगेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खिदरत, बाप जिला जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि बखासर जिला बाडमेर किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री नगेन्द्र सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर मे दायर अपील संख्या 05/2021 में अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 12.01.2021 प्राप्त किया गया था।

माननीय अधिकरण द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक 18.01.2022 द्वारा पूर्व में जारी किये गए अन्तरिम स्थगनादेश दिनांक 12.01.2021 को कन्फर्म करते हुए विभाग को प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में नवीन आदेश जारी करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई थी जिसके अनुसरण में विभागीय आदेश दिनांक 03.03.2022 द्वारा श्री नगेन्द्र सिंह को प्रशासनिक अत्यावश्यकता एवं जनहित में योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए राउमावि बखासर, सेडवा जिला बाड़मेर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया था।

श्री नगेन्द्र सिंह द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय अधिकरण के समक्ष एक अन्य नवीन अपील संख्या 781/2022 दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.03.2022 द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 03.03.2022 का कियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर यदि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाता है तो स्थगन आदेश इसमें बाधक नहीं होगा।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अंतरिम आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी श्री नगेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि, खिदरत, बाप जिला जोधपुर को प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में राउमावि बखासर, सेडवा जिला बाड़मेर स्थानान्तरित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से अवगत करावें।

उक्त आदेश राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/नगेन्द्र सिंह/781/2022 दिनांकः 07/06/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर/बाड़मेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर/बाडमेर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सहायक निदेशक, सतर्कता अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित प्रधानाचार्य श्री नगेन्द्र सिंह को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)